छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्रमांक................/एफ 4–145/एस–2/31/औजप्र/09, नवा रायपुर, दिनांक /10/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **मेसर्स बी.एस.स्पंज प्रा.लि., कोलकाता द्वारा जिला–रायगढ़, ब्लॉक–तमनार, ग्राम–तराईमाल के निकट, एकीकृत इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना हेतु देवनमुण्डा नाला से 0.826 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति।**

संदर्भः– 1.प्र.अ. का पत्र क्र.–3451456/औजप्र/छ.ग./2021/2156–2157, दि. 01.03.2021.
2.शासन का पत्र क्र.–3396–3397/7/जसं/तशा/औजप्र/01/डी–4,दि.07.08.2021.
3.शासन का पत्र क्र.–3694–3695/एफ 4–145/एस–2/31/औजप्र/09,दि.01.09.2021.
4.कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ का पत्र क्र.–3430–3431/तक/रायगढ़, दिनांक 24.09.2021.

––––00––––

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 50वीं बैठक दिनांक 13.07.2021 में लिए गये निर्णयानुसार, **मेसर्स बी.एस.स्पंज प्रा.लि., कोलकाता (संस्थान) द्वारा, जिला–रायगढ़, ब्लॉक–तमनार, ग्राम–तराईमाल के निकट एकीकृत इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना हेतु ग्राम–जामडबरी के पास देवनमुण्डा नाला के नैसर्गिक स्रोत, (ऑफटेक प्वाइंट) से 0.826 मि.घ.मी वार्षिक सतही जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–**

1. प्रकरण में औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आबंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जेस बाबत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 की कंडिका क्र.–1 के अनुसार संस्थान द्वारा कमिटमेंट चार्जेस रू. 20,650/– (रू. बीस हजार छः सौ पचास मात्र) की भुगतान की गई राशि, नियमित जल कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं होगी, और न ही वापसी योग्य होगी।

2. प्रकरण में वर्ष की गैर मानसून अवधि लगभग 06 माह (जनवरी से जून तक) की आवश्यकतानुसार 0.558 मि.घ.मी. जल संग्रहण हेतु अपने संयंत्र परिक्षेत्र में बैलेसिंग रिजर्वायर (तालाब) का निर्माण संस्थान को अनिवार्य रूप से स्वयं के व्यय पर स्वयं करना होगा। इसमें केवल मानसून अवधि (माह जुलाई से दिसम्बर तक 06 माह) में नाले के बहाव से जल का भरण किया जा सकेगा। मानसून अवधि के पश्चात् नाले में उपलब्ध जल बहाव का भंडारण संस्थान नहीं कर सकेगा।

3. संस्थान, देवनमुण्डा नाला से जल आहरण हेतु निर्धारित स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था (इंटेकवेल का निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं के व्यय पर करेगा।

4. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु पंप हाऊस में मानक जल मापन यंत्र (फ्लोमीटर) की स्थापना संस्थान को स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मानक जल मापन यंत्र (फ्लोमीटर) को विभाग द्वारा सील कर इसका नियंत्रण अपने पास रखा जावेगा। विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पम्प हाऊस में प्रवेश हमेशा सुलभ रहेगा। इसके साथ ही, मानक जल मापन यंत्र (फ्लोमीटर) का समय–समय पर जल संसाधन विभाग के सक्षम व संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में केलीब्रेशन कराया जायेगा।

5. देवनमुण्डा नाला से जल ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए भू–अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति–2007 (यथा संशोधित) का पालन करना अनिवार्य होगा।

..2

6. संस्थान द्वारा वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल–मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय–समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी।

7. देवनमुण्डा नाला से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा। नाले में, संस्थान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।

8. संस्थान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

9. संस्थान, उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्सारित जल का रि–साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

10. संस्थान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग के निर्धारित प्रारूप–7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार/ अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

11. संस्थान द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु, प्रकरण में आबंटित जल का उपयोग या दुरूपयोग नहीं करेगा।

12. संस्थान को, शासन द्वारा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय–समय पर निर्धारित जल–दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जेस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा एवं कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 द्वारा जारी विभागीय नीति का पालन संस्थान के लिए बंधनकारी होगा।

13. प्रकरण में जल प्रदाय की यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आँकडों/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नाले के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।

14. शासन द्वारा कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के अनुसार संस्थान को इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 वर्षों के अंदर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उपयोग प्रारंभ करने की समय–सीमा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढाई जा सकेगी एवं इस हेतु प्रथम वर्ष में आबंटित/आरक्षित जल की संपूर्ण मात्रा के 5% अंश एवं दूसरे वर्ष में 10% अंश की जल–कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी। अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस की निर्धारित अधिकतम 2 वर्ष की समय–सीमा के अनुसार भुगतान करने के पश्चात् भी यदि संस्थान द्वारा जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समस्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जल आबंटन/आरक्षण स्वयमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आबंटित/आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी।

सहपत्र :– शून्य।

11/1/2021

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

....3

D:\D2-WRD-2021\Hindi Lettter\F-4.doc(AK)

पृ.क्र. 4246 / एफ 4–145 / एस–2 / 31 / औजप्र / 09, नवा रायपुर, दिनांक 11 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़, एवं
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़।

   की ओर संदर्भित पत्र क्र.–3 एवं 4 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, रायपुर (छ.ग.)–492001 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. निदेशक, मेसर्स बी.एस.स्पंज प्रा.लि., ग्राम–तराईमाल, पोस्ट–गेरवानी, जिला–रायगढ़–496001 (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्र.–BSSPL/MoU/2020-21, दिनांक 04.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

11/10/21

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग